दिन को रात कह रहे हैं

निडर होकर खुले आंगन में
आ गये हैं अनेक मेढक
अपने हमदर्द चाटुकार-
साथियों को लेकर
मनमर्जी कर रहे हैं
दिन को भी टर्रा रहे हैं
बेलगाम मेढक जादूगर हैं
छोटे-छोटे गरीब मेडकों को
झांसा दे रिझाकर
अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं
बरसात में उन सबकी चलती है
बाकी दिनों में सब
गायब हो जाते हैं
एक अंधेरा बो जाते हैं
प्रजातंत्र के मैदान में
एक सन्नाटा छा जाता है
और रास्ता ढूंढते रह जाते हैं
चारों ओर कचरा और गंदगी
इसके बीच
विकास की बातें की जाती हैं
लुटेरों की बस्ती में
बड़े लुटेरों द्वारा
ईमानदारी और शराफ़त की
बात की जाती है
किसी मंच से
गला फ़ाड़-फ़ाड़ कर
झूठे आश्वासनों की
चाशनी पड़ोस रहे हैं
कुर्शी की शान
अपने गंदे पांवों से
बढा रहे हैं-
कुटिल मुस्कान
भेड़िये होकर भी
नकली दहाड़!
जिन्हें पगडंडी का भी
सही ज्ञान नहीं
वे देश-विदेश की
हवाई यात्रा में जुटे हैं
जनता की गाढ़ी कमाई पर
ऐश कर रहे हैं
गुलछर्रे उड़ा रहे हैं
घोटालों पर घोटाले करने वाले
दूसरों के घोटाले ढूंढ रहे हैं
कांच के घर में रहने वाले
दूसरों के घर पत्थर फेंक रहे हैं
पोस्टर और अपने प्रचार में
जनता की गाढ़ी कमाई
बर्बाद कर रहे हैं
नई योजनाओं के नाम पर
अपना और अपनों का
घर भर रहे हैं
एक गमछा भी
नहीं सम्हलता जिनसे
वे देश को सम्हालने की
बात कर रहे हैं-
दिन को भी रात कह रहे हैं।

-प्रेमचन्द सोनवाने

पेज एक का शेष

सुनपेड़ कांडः कौन करे इस न्याय व्यवस्था पर विश्वास

फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट से भी इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि आग बाहर से नहीं भीतर से ही लगाई गयी है तथा इसके लिये बाहर से पैट्रोल फेंकने की बजाय भीतर से ही केरोसिन ऑयल डाला गया था तो पहले पुलिस और बाद में सीबीआई वाले जितेन्द्र द्वारा नामजद उन 11 बेकसूर लोग़ों को जेल में बिठा कर पूछताछ के नाम पर क्यों प्रताड़ित कर रही है? क्यों नहीं उन सभी को डिस्चार्ज़ करके उनसे पूछताछ करती जो उस वक्त कमरे के भीतर थे? क्यों उन 7 पुलिस-कर्मियों को निलम्बित करके बिठा रखा है जो उस रात जितेन्द्र की सुरक्षा में तैनात थे। ध्यान रहे कि उन पुलिस-कर्मियों की ड्यूटी उसके घर के बाहर किसी बाहरी हमले से बचाव के लिये थी न कि उनके बेडरूम में होने वाली किसी वारदात को रोकने के लिये।

मामला दिन के उजाले की तरह बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है। जब दीवार फ़ांदने व बाहर से (खिरकी के रास्ते) आग लगाने की बात झूठी साबित हो चुकी है तो स्वत: सिद्ध है कि आग भीतर से पति या पत्नी ने ही लगाई है। इन दोनों में से यह वारदात किसने और क्यों करी? इस प्रश्न का उत्तर इन दोनों के अतिरिक्त कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं दे सकता। लेकिन 'दलित' का कवच धारण किये इस जोड़े से इस बाबत पूछताछ करने की हिम्मत न तो स्थानीय पुलिस ही जुटा पाई और न ही सीबीआई जुटा पा रही। इसके बावजूद जितेन्द्र व दलित राजनीति के खिलाड़ी बयान पर बयान दिये जा रहे हैं कि सीबीआई भी निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रही, आरोपियों को सज़ा देने की बजाय उल्टे उसी से उल्टे-सीधे सवाल-जवाब कर रही है।

यह सारा खेल जातिगत राजनीति के नाम पर चलाया जा रहा है। पहले यह स्थानीय पुलिस के द्वारा चलाया गया अब सीबीआई के द्वारा चलाया जा रहा है। चमार जाति से होने के चलते जितेन्द्र तो 'बेचारा दलित' हो गया और राजपूत जाति से होने के चलते आरोपी 'दबंग' ठहरा दिये गये हैं। जबकि वित्तीय एवं सामाजिक दृष्टि से जितेन्द्र की स्थिति कहीं ज़्यादा मजबूत है। विदित है कि एक वर्ष पूर्व जब 3 राजपूतों की हत्या जितेन्द्र के परिजनों ने की थी तब न तो कोई जातीय हंगामा हुआ न कोई नेता वहां रोने पहुंचा क्योंकि उन पर 'दबंग' का लेबल लगा था; अब जितेन्द्र की वारदात से देश भर की सरकार हिल गयी क्योंकि उस पर 'दलित' का लेबल लगा है। उस वक्त सारा काम न्याय की सामान्य प्रक्रिया के अनुसार हुआ। सभी लोग उससे सन्तुष्ट भी थे। परन्तु इस बार सारा काम न्यायिक प्रक्रिया को ताक पर रख कर किया जा रहा है; केवल इस लिये कि तथाकथित दलित नाराज न हो जायें।

यह कौनसी न्याय प्रक्रिया है कि जितेन्द्र ने जो भी नाम लिखाये, बिना किसी सबूत के उठा कर जेल भेज दिये गये? शुकर है कि जितेन्द्र ने 11-12 नाम ही लिखाये थे, यदि वह 100-50 नाम और लिखा देते तो क्या होता? जानकारों के अनुसार गिरफ़्तारी के वक्त पुलिस को यह लिखना पड़ता है कि सबूत काबिले गिरफ़्तारी सफ़ा मिसल पर गुजरने के बाद गिरफ़्तारी अमल में लाई गयी। इस केस में भी पुलिस ने यह जुमला जरूर लिखा होगा। लेकिन कौन सा सबूत काबिले गिरफ़्तारी था जिसके गुजरने पर गिरफ़्तारी अमल में लाई गयी? यह पूछने वाला इस अंधेर नगरी में कोई नहीं क्योंकि राजा और दरबारी सबके सब चौपट हैं। सबको लगता है कि 'दलित' कहीं उनकी कुर्सी न खा जायें।

सरकार और उसकी पुलिस का स्वार्थ तो समझ में आता है, न्यायपालिका का स्वार्थ अथवा उदासीनता समझ से परे है। अपने आप को स्वतंत्र बताने वाली न्यायपालिका कैसे तमाशबीन हो कर तमाशा देख रही है? गिरफ़्तारी के बाद तमाम दोषी नियमानुसार कोर्ट में पेश किये गये। पूछताछ के लिये पुलिस ने रिमांड मांगा तो कोर्ट ने दे दिया, चलो यहां तक तो ठीक था। परन्तु पूछताछ पूरी होने के बाद अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजते वक्त क्या देखा? क्या अदालत ने पुलिस की जिमनियां पढीं? क्या सबूत काबिले गिरफ़्तारी देखे या पूछे? जब पुलिस की पूछताछ पूरी हो गयी तो उन सब तथाकथित आरोपियों को जेल में ठूंसे रखने का क्या औचित्य है?

न्यायपालिका के इसी तरह के कृत्य बताते हैं कि न्यायपालिका कितनी स्वतंत्र है, कितनी निष्पक्ष और न्यायकारी है। इन हालात को देखते हुए कहा जा सकता है कि न्यायपालिका न्याय के बजाय तारीख पर तारीख देने व तारीख पर केवल फ़ाइलें ही पीटती रहती है। ध्यान रहे कि अन्याय की ज़मीन पर ही बगावत के बीज अंकुरित होते हैं।

'न्याय' की इस अंधी चक्की में अनगिनत लोग़ रोज़ाना यूं ही पिसते रहते हैं कोई पूछने-सुनने वाला नहीं। इस मामले में दो वकील भी लपेटे में आ गये तो मामला उछल कर सीधे हाईकोर्ट के संज्ञान में आ गया और वरिष्ठ जज सूर्यकांत को न्याय दिलाने का भरोसा देना पड़ गया, वरना इस अंधेर नगरी में कौन किसकी सुनता है और किसे न्याय मिलता है?

सिर्फ इस देश में राष्ट्रवाद की हवायें बहती हैं

सिर्फ इस देश में राष्ट्रवाद की हवायें बहती हैं, बाकी दुनिया के किसी देश में किसी की राष्ट्रीयता पर सिर्फ इसलिये संदेह नहीं किया जाता क्योंकि उसका नाम, धर्म दूसरा है। यह पैमाना तो सिर्फ भारत में इजाद किया गया है, जिन लोगों ने यह पैमाना इजाद किया है उनके पुरखों तक ने इस देश के लिये नाखून तक नहीं कटाया, विडंबना देखिये आज उसी गिरोह पर इस देश के लोगों को राष्ट्रीयता मापने का पैमाना है, सच्चा राष्ट्रवादी, सच्चा देशभक्त कौन है और कौन नहीं इसका सर्टिफ्किेट देने का की अघोषित ठेकेदारी है। यह गिरोह अपने अलावा बाकी सबको बेइज्जत करना चाहता है, खुद के अलावा दूसरे को अछूत, नीचा, साबित करना चाहता है। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी हों या फिर बॉलीवुड के बादशाह शाहरूख खान तक भी इस विशेष गिरोह से खुद को बचा नहीं पाये हैं। और मजबूर होकर, खुद को साबित करने के लिये मैं सच्चा हिंदोस्तानी हूं, मैं सच्चा देशभक्त हूं जैसे बयान दिये हैं। सोचिये यह उस मुसलमान की भाषा है जिसके करोड़ों लोग दीवाने हैं, जब एसे सुपर स्टार तक को खुद की राष्ट्रीयता साबित करनी पड़े फिर हाशिये पर पड़े, रिक्शा खींचते, मजूरी करते मुसलमान पर क्या गुजरती होगी जब उसे पाकिस्तानी कहा जाता होगा, वह भारत का आम नागिरक है, शाहरूख की तरह उसके करोड़ों चाहने वाले भी नहीं है, शाहरूख की तरह उसे समझ भी नहीं है, फिर भी वह जी रहा है, कभी हिंदोस्तानी होकर पाकिस्तानी नाम के फब्ती सुनते हुए, तो कभी निर्दोष होकर आतंकवादी होने के ताने सुनते हुए। एसी फिज़ा इस देश में बनी नहीं है बल्कि बनाई गई है, और जिस गिरोह ने यह माहौल बनाया है उसका इस देश के सरोकारों से दूर तक वास्ता ही नहीं है, सिवाय, हिंदुत्व, दंगा, बम, नफ़रत और नफ़रत के। क्या ऐसा गिरोह राष्ट्रवादी हो सकता है। क्या ऐसे लोग देशभक्त हो सकते हैं धर्म की आड़ में धंधा चलाने वाला यह गिरोह लोगों को गुमराह कर रहा है, इस देश की रगों में नफ़रत को पाल रहा है, लानत तो यह कि उस गिरोह को सरकारी संरक्षण प्राप्त है। या यों कहें कि सरकारी ही उस गिरोह की है।

उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी हों या फिर बॉलीवुड के बादशाह शाहरूख खान तक भी इस विशेष गिरोह से खुद को बचा नहीं पाये हैं। और मजबूर होकर, खुद को साबित करने के लिये मैं सच्चा हिंदोस्तानी हूं, मैं सच्चा देशभक्त हूं जैसे बयान दिये हैं।

- कमल किशोर

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें:

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. आनंद मैगजीन सैंटर केसी रोड, एनएच-5,
2. प्रिंट फोर्ट टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड,
3. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन,
4. रैंक, 45 नीलम चौक,
5. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे,
6. राम खिलावन बल्लभगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने,
7. हितेश ग्रोवर सैक्टर 29 पेट्रोल पम्प के पास ।
8. जितेन्द्र, बाटा सैंटर - 9971064207
9. स्थानीय अदालतों में : चैम्बर नं. 56-एस.के .जोशी - वकील साहब